राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 662/।।।/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6.5.2014	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 458 अ-68/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-11-13 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त सागर संभाग के आदेश दिनांक 6-11-13 के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदकगण ने छतरपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1688 (कलेक्टर बंगले के निकट) पर अतिकमण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, जिस पर अपर कलैक्टर छतरपुर ने मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये एंव सुनवाई हेतु प्रकरण 8-7-2010 को नियत किया। दिनांक 2-8-10 को अपर कलेक्टर व्दारा अंतरिम आदेश से निर्णय लिया कि नये कार्य-विभाजन आदेश के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों की सुनवाई कलेक्टर न्यायालय में की जावेगी।	
	4/ जहॉ तक अपर कलेक्टर के अंतरिम आदेश दिनांक 7-7-10 का प्रश्न है , अपर कलेक्टर छतरपुर ने आवेदकगण द्वारा छतरपुर नगर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1688 (कलेक्टर	

बंगले के निकट) पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कराये जाने के कारण यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है और इन्हीं कारणों अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि अपर आयुक्त सागर ने आदेश दिनांक 6—11—13 पारित करते समय किस प्रकार की विधि एंव प्रक्रियात्मक त्रृटि की है अपितु अपर आयुक्त सागर के आदेश दिनांक 6—11—13 में किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आने से निगरानी सारहीन है जो इसी—स्तर पर अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य